

ORDER SHEET

C.J.(E)

THE COURT

Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09 ⁰² / ₁₇	<p>आवेदिका श्रीमती नीतू द्वारा श्री राधामाहन शर्मा को उपस्थित होकर एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 151 जारू का पेश कर इस न्यायालय के प्र.क- 49/14 एलेम श्रीमती मती नीतू बनाम रघुवीर आदि आदि- 13-05-18 के पालन में जमा मुदा अवार्ड राशि के भुगतान कराये जाने वास्तु पेश किया।</p> <p>उक्त आवेदनपत्र की प्रति नायब नाजिर मोहद की ओर भेजकर जमा मुदा अवार्ड राशि के संबंध में प्रतिवेदन तलब हो।</p> <p>प्रकरण को विधिवत एम.जे.सी. में पंजीबद्ध किया जाये।</p> <p>मूल अभिलेख तलब हो।</p> <p>प्रकरण दिनांक 11-02-17 को पेश।</p> <p>पी. सी. आर्य सदस्य दि. मोटर दुर्घटना बाबा प्राधिकरण मोहद जिला-मिर्जापुर (म.प्र.)</p> <p>प्रकरण आज बृहद लोक अदालत में रखा गया।</p> <p>आवेदिका श्रीमती नीतू सहित श्री. अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>प्रकरण प्रतिवेदन की प्राप्ति हेतु नियत है।</p> <p>नायब नाजिर मोहद से प्रतिवेदन प्राप्त, मूल अभिलेख प्राप्त जो संलग्न अभिलेख किया।</p> <p>बीमा कम्पनी अधिवक्ता श्री अरुण श्रीवास्तव उपस्थित।</p> <p>अवार्ड राशि आवेदनपत्र पर समयसमय का मुना गया।</p> <p>मूल अभिलेख का अवलोकन किया अवार्ड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।</p> <p>पी. सी. आर्य सदस्य दि. मोटर दुर्घटना बाबा प्राधिकरण मोहद जिला-मिर्जापुर (म.प्र.)</p>	<p>वीटू</p> <p>Identified</p> <p>Signature</p>

(P.T.C)

Date of
order or
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

File No.
Date

न्यायालय माननी
प्रोफेसर

की

आवेदनपत्र पर विचार किया गया, प्रकरण में आवेदनक को क्षतिपूर्ति हेतु शा.दि. 13-05-18 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 9,70,190/- (नौ लाख सत्तर हजार एक सौ नब्बे) रुपये जरिये पैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के पैक जमा पंजी कं.-02/17 दिनांक 24-01-17 को 9,70,190/- (नौ लाख सत्तर हजार एक सौ नब्बे) रुपये में नकारत अनुभाग गोदर भेजा गया जो नकारत अनुभाग के पंजीयन क्रमांक 02/17 दिनांक 25-01-17 पर जमा होकर शेष है।

मूल अभिलेख के आवेदन से दर्शित होता है कि इस न्यायालय में निराकृत प्रकरण दिनांक 13-05-18 को हुआ। अपाई का आवेदन किया जिसमें अपाई पारित करते हुए राशि 8,30,000/- (आठ लाख तीस हजार) रुपये उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 19-09-14 से पूर्ण माहयकी तक आवेदनक को 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के बीमा कम्पनी द्वारा मिला किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसमें आवेदनक कं.-1 को सच्चर्य की हानि के 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की प्राप्ति होगी। तथा शेष सह की राशियों में आवेदनक का समान हिस्सा रहेगा।

अनावेदनक कं.-3 द्वारा क्षतिपूर्ति एवं ब्याज जमा करने पर उसमें आवेदनक को 1,00,000-1,00,000 /- (एक-एक लाख) रुपये सम्पत्तिकृत बैंक खाते के माध्यम से नगर प्रदान किये जाये तथा शेष राशि को तीनों आवेदनक के नाम से तीन-तीन वर्ष की कालावधि के लिए प्रत्येक-प्रत्येक एक-एक लाख के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाये। जिस पर आवेदनक वचत खाते के माध्यम से त्रैमासिक ब्याज की राशि का आहरण कर सकेंगे।

चूंकि आवेदनक श्रीमती नीतू द्वारा अपनी जमा सुरक्षा राशि के संबंध में प्रत्येक से अपाई प्राप्त किये जाने आवेदनपत्र पेश किया है। जो सृष्टक की प्रति है। अतः आदेश के पालन में श्रीमती नीतू पत्नी स्वर्गीय श्री कविलाश निवासी जगन्नाथ पुरा धाना गोहर चौसठा तहसील गोहर जिला भिण्ड म.प्र. 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से नगर मुगलान प 3,01316/- (तीन लाख एक हजार तीन सौ सौलह) रुपये 03-03 वर्ष की कालावधि के लिए (एक-एक लाख) के माध्यम से जमा किये जाये। आदेशानुसार प्रत्येक के उपस्थित होने पर रिफाइट वाचर तैयार कर नायब नजिर गोहर की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जाये।

लोक अदालत के डॉक्टर तैयार हो।

मूल अभिलेख वापिस हो।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भिण्ड भेजा जाये।

चार लाख एक हजार
सौलह रु. 4130

नीतू

Identified
Date

पी. सी. जयसिंह
सदस्य

डि. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण
गोहर जिला भिण्ड (म.प्र.)

GRPG-72-Forms-2010-2011